कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

//तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति//

क्रमांक /स्था./भर्ती/2022/2514 **सूरजपुर दिनॉक 23/03/2022**

संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था. अवि./312/2021/857 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23.08.2021 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन नियम 11/06/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ/10–8/2019/1/एक दिनांक 04 सितम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार जिला **सूरजपुर** में **जिला संवर्ग** के जिला **सूरजपुर** में तृतीय श्रेणी के पद– **फार्मासिस्ट ग्रेड 02, ड्रेसर ग्रेड 01, डार्करूम असिस्टेंट एवं चतुर्थ श्रेणी – वार्ड ब्वाय, वार्ड आया, ओ. टी. अटेण्डेंट, चौकीदार** के रिक्त पदों को बैकलॉग एवं सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला **सूरजपुर** के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासियों से **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा (अंबिकापुर)"** के वेबसाईट https://jssbsurguja.cgstate.gov.in पर दिनांक 29.03.2022 से 20.04.2022 रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2 पदों का विवरण निम्नानुसार है–

1 तृतीय श्रेणी के पद–

पद नाम	अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग		
फार्मासिस्ट ग्रेड–2 बैकलॉग	0	0	0	0	5	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
ड्रेसर ग्रेड 01	7	2	0	9	8	3	1	12	0	0	0	0	3	1	0	4	0	25
डार्करूम असिस्टेन्ट	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2 चतुर्थ श्रेणी के पद –

पद नाम	अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग		
वार्ड ब्वाय,	12	0	1	13	13	0	1	14	0	0	0	0	2	0	0	2	1 ST	30
वार्ड आया	0	13	0	13	0	5	0	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	19
ओ.टी. अटेण्डेंट,	4	1	0	5	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
चौकीदार	2	0	0	2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Scanned with CamScanner

टीप–

1 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 13–19/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 20.02.2014 एंव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु विज्ञापित पदों में से 20 प्रतिशत आरक्षित करते हुए विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित आवेदकों के बीच से की जायेगी। विशेष पिछड़ी जनजातियों के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति संवर्ग के ही सामान्य अभ्यर्थियों से पद की पूर्ति की जावेगी।

2 विज्ञापित पदों पर चयन/नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक(सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012, एवं 594/2012, में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय अध्यधीन होंगी। माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है किन्तु किसी भी परिस्थिति में विज्ञापित कुल पदों की संख्या में परिवर्तन नही होगा।

3. **तृतीय श्रेणी** के पद हेतु विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, तथा उपरोक्त पदों हेतु विभाग को पदवार/जिलेवार मेरिट (वरीयता) सूची उपलब्ध कराई जायेगी। विज्ञापित पद संख्या के विरूद्ध पाँच गुना से कम आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा, शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट (वरीयता) सूची के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

4. परीक्षा शुल्क **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा (अम्बिकापुर)"** के वेबसाईट https://jssbsurguja.cgstate.gov.in पर केवल ऑनलाईन देय होगा ।

5. परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र में अंकित होगा ।

6. पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे ।

3. शैक्षणिक अर्हता – (तृतीय श्रेणी के पदों हेतु)

(1) <u>फार्मासिस्ट ग्रेड 02, तृतीय श्रेणी,</u>

(क) फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा तथा

(ख) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन ।

(2) ड्रेसर ग्रेड 01, तृतीय श्रेणी

(क) विज्ञान विषय में 10+2 पध्दति में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए,

(ख) आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए

(ग) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए ।

(3) डार्क रूम असिस्टेन्ट

विज्ञान विषय में 10+2 पध्दति में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए,

शैक्षणिक अर्हता– (चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु)

वार्ड ब्वाय, वार्ड आया, ओ.टी अटेण्डेंट, चौकीदार

वार्ड ब्वाय के लिये पुरूष अभ्यर्थी एंव वार्ड आया के लिए महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।

सभी पदों हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए ।

4. वेतनमान–

तृतीय श्रेणी–

1 फार्मासिस्ट ग्रेड 02, तृतीय श्रेणी, वेतनमान 25300–80500, लेवल – 06

2 ड्रेसर ग्रेड 01, तृतीय श्रेणी, वेतनमान 19500–62000, लेवल – 04

3 डार्क रूम असिस्टेन्ट वेतनमान 19500–62000, लेवल – 04

Scanned with CamScanner

चतुर्थ श्रेणी

1 वार्ड ब्वाय, चतुर्थ श्रेणी, वेतनमान 15600–49400, लेवल – 01
2 वार्ड आया, चतुर्थ श्रेणी, वेतनमान 15600–49400, लेवल – 01
3 ओ.टी अटेण्डेंट, चतुर्थ श्रेणी, वेतनमान 15600–49400, लेवल – 01
4 चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी, वेतनमान 15600–49400, लेवल – 01

5. नियम एवं शर्तें :–

1. **न्यूनतम एंव अधिकतम आयु सीमाः**–दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3/ दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 के समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष के स्थान पर दिव्यांगजन उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगी।
2. जिला स्तरीय पदों की पूर्ति हेतु सूरजपुर जिले के स्थानीय निवासियों को ही भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होगी, जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. तृतीय श्रेणी पदों के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंकसूची एवं डिप्लोमा/डिग्री के साथ–साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियाँ एवं स्व–प्रमाणित् छायाप्रति तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए पांचवीं/आठवीं की अंकसूची के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, संबन्धित कौन्सिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आदि की मूलप्रतियां एवं स्व–प्रमाणित् छायाप्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में संविदा/दैनिक वेतन तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत् को अनुभव का अंक दिया जावेगा शर्त यह है कि आवेदक द्वारा जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रतिवर्ष अनुभव के लिए 02 अंक प्रदान किये जाएगें, जिसके लिए न्यूनतम 9 माह की सेवा अवधि होना चाहिए। अनुभव के अधिकतम 10 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक 6 माह की सेवा अवधि पर 01 अंक दिया जाएगा। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
5. छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नवा रायपुर आदेश कमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक:::: नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07.12.2021 के अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जायेगा। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्या किये जायेंगे।

Scanned with CamScanner

6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

7. फार्मासिस्ट ग्रेड–2 ,ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं महिला, ड्रेसर ग्रेड 01 लैब असिस्टेन्ट, डार्क रूम असिस्टिेन्ट, ड्रेसर ग्रेड 02 पदों के लिए लिखित परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता व्यय नहीं दिया जावेगा।

8. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं, पदों पर आरक्षण के लिए कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों, पात्र होंगे। आवेदक को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संगत दिव्यांगता निम्नानुसार है –

तृतीय श्रेणी–

1 फार्मासिस्ट ग्रेड–02 OL, BL

2 ड्रेसर ग्रेड–01 OL, HH

3 डार्क रूम असिस्टेन्ट OL, HH

चतुर्थ श्रेणी

1 वार्ड ब्वाय OA, OL, LV

2 वार्ड आया OA, OL, LV

3 ओ.टी अटेण्डेंट OL, HH

4 चौकीदार – निःशक्तता अमान्य

9. चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी का पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) नियोक्ता द्वारा कराया जायेगा। पुलिस वेरीफिकेशन में चरित्र सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

10. ऑनलाईन दर्ज किये गए विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेवें। आवेदन दिये जाने के बाद त्रुटि सुधार के लिए निर्धारित समयावधि में आवश्यक सुधार कर लेवें। उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

11. फार्मासिस्ट ग्रेड–2 , ड्रेसर ग्रेड 01 , डार्क रूम असिस्टिेन्ट, पदों हेतु लिखित परीक्षा में निर्धारित पाठ्यकम पर आधारित 100 अंक के बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे तथा अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक एवं कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जायेगा। लिखित परीक्षा, अनुभव एवं बोनस के अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार किया जावेगी।

12. चतुर्थ श्रेणी– **वार्ड ब्वाय, वार्ड आया, ओ.टी. अटेण्डेंट, चौकीदार,** के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 80 प्रतिशत् अंक भार दिया जावेगा। अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम 10 अंक दिया जावेगा एवं कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लागातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जायेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस के लिए निर्धारित अंकों को जोड़ कर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

Scanned with CamScanner

13. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत **सूरजपुर** /जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र **सूरजपुर** /समस्त तहसील कार्यालय/समस्त जनपद पंचायत/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

14. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवें एवं विज्ञापन में दिये गए निर्देशों/नियम शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाईन आवेदन करेंगे। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करेंगे, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए बोर्ड अथवा नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होंगे।

15. प्रवेश पत्र **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा (अंबिकापुर)"** के वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा। जिसे डाऊनलोड कर प्रिन्ट आऊट आवेदक को ही करना होगा।

16. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

(क) परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29/07/2020 के तहत निम्नानुसार स्टायपण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत्

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत्

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत्

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर नियमित किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू वेतन में नियत किया जायेगा।

17. अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

18. यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत् हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी **"अनापत्ति प्रमाण पत्र"** दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

19. प्रतीक्षा सूची **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा (अंबिकापुर)"** द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।

20. चयन उपरान्त् यदि कोई जानकारी असत्य/फर्जी पाई जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

21. भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

22. परीक्षा की तिथि, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारियाँ **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा (अंबिकापुर)"** की वेबसाइट https://jssbsurguja.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सूरजपुर

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक / स्था. / भर्ती / 2022 / 2515

सूरजपुर दिनॉक 23/ 03 / 2022

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, छ0ग0 शासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त एवं अध्यक्ष विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
03. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छ0ग0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. कलेक्टर, जिला **सूरजपुर** की ओर सादर सूचनार्थ।
05. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग अंबिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत **सूरजपुर** को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
07. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला **सूरजपुर** की ओर सूचनार्थ पटल में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ।
08. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी जिला **सूरजपुर** को उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
09. समस्त तहसील कार्यालय जिला **सूरजपुर** को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला **सूरजपुर** को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
11. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला **सूरजपुर** को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें।
12. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र **सूरजपुर** को विज्ञापन जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सूरजपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

//तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति//

क्रमांक/स्था./भर्ती/2022/2516 **सूरजपुर दिनॉक 23/03/2022**

संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था. अवि./312/2021/857 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23.08.2021 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन नियम 11/06/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ/10–8/2019/1/एक दिनांक 04 सितम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार **जिला संवर्ग** के जिला **सूरजपुर** में तृतीय श्रेणी के पद– **फार्मासिस्ट ग्रेड 02, ड्रेसर ग्रेड 01, डार्करूम असिस्टेंट एवं चतुर्थ श्रेणी – वार्ड ब्वाय, वार्ड आया, ओ.टी. अटेण्डेंट, चौकीदार,** के रिक्त पदों को बैकलॉग सहित सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला **सूरजपुर** के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासियों से **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा (अंबिकापुर)"** के वेबसाईट https://jssbsurguja.cgstate.gov.in पर दिनांक 29.03.2022 से 20.04.2022 रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2 पदों का विवरण एवं विस्तृत जानकारी **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा (अंबिकापुर)"** के वेबसाईट https://jssbsurguja.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सूरजपुर